

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्डुनू

पीठासीन अधिकारी : दमयंती कंवर
आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या 66/2020
लाडो देवी आदि

बनाम

घासी आदि

दावा बाबत घोषणार्थ, रिकार्ड दुरुस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा

प्रार्थना पत्र बाबत 152 सीपीसी निर्णय संशोधन

ऐडवोकेट अप्रार्थी
ऐडवोकेट प्रार्थी

- श्री अमर सिंह शेखावत

- ----

आदेश

दिनांक 03.06.2022

प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि :- प्रार्थी (वादी) की ओर से प्रार्थना पत्र इस कदर पेश किया कि उपरोक्त उनवानी वाद में न्यायालय द्वारा दिनांक 25.05.2011 को वादी का वाद निर्णय/डिक्री किया गया था। उक्त निष्प्रय में " तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त भूमि बैंक के रहन है अतः रहन मुक्त होने पर राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर रिकॉर्ड दुरुस्त किया जावे" अंकन किया गया, इसी अनुसार डिक्री में भी तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया गया था कि भूमि रहन मुक्त होने पर रिकॉर्ड दुरुस्त किया जावे।

उपरोक्त वर्णित वाद के निर्णय/डिक्री से व्यथित होकर प्रतिवादीगण द्वारा अपील संख्या 10/2011 अनुवानी "घासी बनाम लाडो" न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी व पदेन राजस्व अपील अधिकारी, सीकर कैम्प कोर्ट झुन्डुनू में अपील विचाराधीन होने के कारण से डिक्री की इजराय की पालना की कार्यवाही नहीं की जा सकी। दिनांक 08.04.2021 को प्रतिवादीगण की अपील संख्या 10/2011 अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज होने के बाद नकल आदेशिका प्राप्त करने के पश्चात प्रार्थी द्वारा तहसीलदार नवलगढ़ के यहां दिनांक 27.12.2000 को निर्णय/डिक्री दिनांक 25.05.2011 की पालना हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर हल्का पटवारी द्वारा निर्णय/डिक्री दिनांक 25.05.2011 की पालना करने में असमर्थता जताई और कहा कि मुकदमा संख्या 65/2005 में प्रतिवादीगण द्वारा उक्त वादीग्रस्त आराजी को आज तक रहन मुक्त नहीं करवाई है तथा लगातार न्यायालय के निर्णय की पूर्ण जानकारी हेतु हुए भी बैंक से ऋण प्राप्त करते जा रहे हैं तथा निर्णय में " तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त भूमि बैंक के रहन है अतः रहन मुक्त होने पर राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे" नोट लगा होने के कारण से पालना नहीं कर सकता।

मुकदमा संख्या 65/2005 के निर्णय/डिक्री दिनांक 25.05.2011 में उक्त नोट का प्रतिवादीगण 01 लगायत 12 गलत फायदा उठाकर प्रकरण संख्या 13 व 14 बैंक से साज कर निर्णय/डिक्री के पश्चात वादग्रस्त आराजी में वादीगण के हिस्से पर लगातार ऋण प्राप्त कर रहे हैं, जबकि उक्त आराजी पर वादीगण का लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 12 द्वारा प्रतिवादी संख्या 13 व 14 से साज कर ऋण लेते समय समय भौतिक सत्यापन किये बगैर हल्का पटवारी से साजिश कर निर्णय को निष्फल किया जा रहा है जबकि प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 12 ने ऋण प्राप्त किया है तो उन्ही का दायित्व है कि वो ऋण का चुकता करे, यदि ऋण चुकता करने में असफल होते हैं तो उनके गारन्टर से वसूल करे, परन्तु वादीगण को उक्त ऋण की आड़ में खातेदारी प्रदान करने से जानबूझकर व्यवधान पैदा कर वंचित किया जा रहा है। इसलिए निर्णय/डिक्री दिनांक 25.05.2011 में अंकित नोट "तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त भूमि बैंक के रहन है अतः रहन मुक्त होने पर राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे" को विलोपित किया जाकर निर्णय/डिक्री की पालना करवाये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक चूंकि डिक्री में एरर हेतु कारण से प्रार्थीगण अपनी खातेदारी के अधिकारों से महरूम होना पड़ रहा है साथ ही साथ कृषक में मिलने

ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रे.)
नवलगढ़

वाला सरकारी सुविधाओं से भी वंचित हो रहे है। प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि निर्णय/डिक्री दिनांक 25.05.2011 में अंकित नोट " तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि उक्त भूमि बैंक के रहन है। अतः रहन मुक्त होने पर राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे " को विलोपित किये जाने का आदेश फरमावे।

बहस वकील आवेदनकर्ता की सुनी गई। दौराने बहस वकील आवेदक ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराया। बहस का मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। आवेदन कर्ता ने निर्णय में संशोधन अर्थात किये गये निर्णय में अंकित पंक्ति "तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि उक्त भूमि बैंक के रहन है अतः रहन मुक्त होने पर राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे" को विलोपित करवाने के लिए उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। न्यायालय का निर्णय दिनांक 25.05.2011 का है, जो न्यायालय द्वारा गुणावगुण के आधार पर तत्कालिन परिस्थिति व दस्तावेजों के आधार पर पारित किया गया था। धारा 152 सी.पी.सी. का Scope बहुत ही सीमित है जिसमें निर्णय या डिक्री या आदेश में लेखन या गणितीय भूल अथवा किसी आकस्मिक भूल से हुई गलतियां न्यायालय द्वारा स्वप्रेरणा से या पक्षकार मे से किसी के आवेदन पर शुद्ध की जा सकती है। आवेदनकर्ता निर्णय में अंकित पंक्ति को विलोपित कराने के लिए न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। निर्णय में किसी प्रकार की भूल या लिपिकीय त्रुटि होना प्रतीत नहीं होता है। आवेदनकर्ता जिस प्रकार का विलोपन करवाना चाहता है उससे पारित किया गया निर्णय प्रभावित होता है। निर्णय में परिवर्तन/विलोपन मूल निर्णय की अपील के माध्यम से हो सकता है। अतः इस संबंध में प्राप्त प्रार्थना पत्र धारा 152 सी.पी.सी. के अनुसार तत्समय पारित निर्णय में परिवर्तन या फेरफार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। आवेदनकर्ता ने करीब 11 वर्ष पश्चात काफी विलम्ब से प्रार्थना पत्र पेश किया है जो किसी भी दृष्टि से पोषणीय नहीं है। फलस्वरूप आवेदनकर्ता का प्रार्थना पत्र 152 सीपीसी अस्वीकार किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 03.06.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दमयंती कंसु) (सा.दे.)
सहायक फिल्टर (फा0ट्रक)
नवलगढ जिला झुन्डुनु